न्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

असीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
संख्या :– 132/2016

उनवान

मुरली पुत्र गंगा (मृतक दौरान वाद विचारण)
1/1 रामकरण पुत्र मुरली
1/2 नन्छी
1/3 किशोरी } पुत्रियां स्व0 मुरली
हनुमान पुत्र गंगा
भगवान सहाय
बाबूलाल } पिसरान बिरदू
5 सरवण पत्नि स्व0 बिरदू
6 मंजू नाबालिंग पुत्र स्व0 बिरदू जरिये प्राकृतिक संरक्षिका सरवण माता नाबालिंग
7. शम्भूदयाल
8. मुकेश
9 सुरेश } पि0 नन्दा
10 जगदीश
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी जोडावाली तन राडावास तहसील शाहपुरा वादी

बनाम

1. जगदीश
2. रामचन्द्र
3. मुरली } पि0 त्रिलोक
4. मोहन
5. मंगली पत्नि स्व 0 त्रिलोक
6. काना पुत्र गोमा (नाम हजफ आदेश दिनांक 6.4.18)
7. उप पंजीयक तहसीलदार तहसील शाहपुरा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

9. केशर पुत्री बिरदू पत्नी मुरली जाति जाट निवासी ढाणी कांकडावाला तन शाहपुरा
10. फूली पुत्री बिरद पत्नी श्योराम जाति जाट निवासी ढाणी कांकडावाला तन शाहपुरा

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आरटीए

निर्णय दिनांक 3-9-2020

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किया गया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 473 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 481 रकबा 18 बिस्वा, 483 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ?, 486 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 487 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा में स्थित है जो कि सम्वत 2012 से 2027 खतौनी बन्दोबस्त में गोदा, गंगा पि0 छोटू जाति जाट के नाम थी तथा वे ही बहिस्सा बराबर सेटलमेन्ट से पूर्व तथा सेटलमेन्ट के समय काबिज रहकर कास्त एवं उपयोग करते चले आये है जिसे आगे प्रकरण में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा उक्त खातेदारों का सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

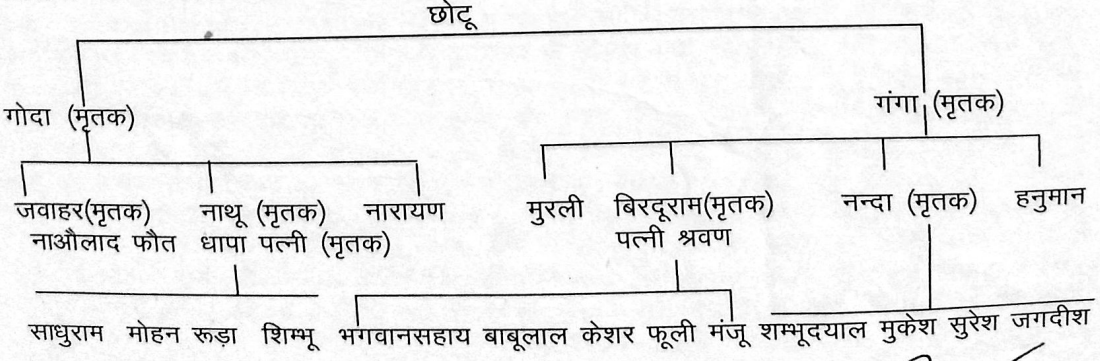

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वादी संख्या 1 लगाय 6 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है –

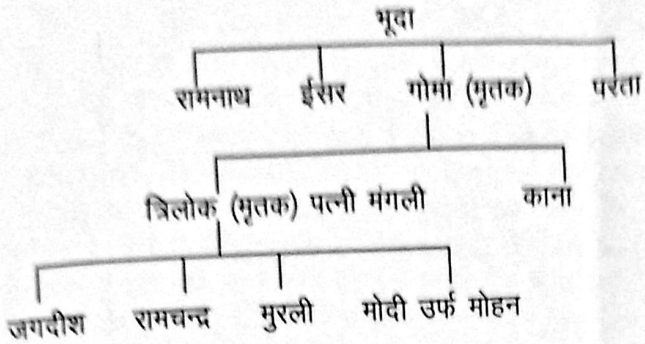

सजरा खानदान में रामनाथ ईसर व परता के सजरे खानदान का पूर्ण विवरण इसलिए अंकित नहीं किया है कि उनका उनके परिवारजनों कोई संबंध नहीं है। उक्त विवादित आराजी में मृतक गोमा अथवा उसके पूर्वज भूदा का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं हैं तथा न ही गोमा व उसके वारिसान का कब्जा कास्त व अधिकार रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वक्त साबिक सेटलमेंट संवत 2030–33 तक गोदा, गंगा, विश्राम, छोटू जाति जाट निवासी राड़ावास के नाम बदस्तूर कब्जा कास्त के अनुरूप दर्ज चली आई है । मगर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा हेरा फेरी करके फर्जकारी के उद्देश्य से गंगा के बजाय गोमा अंकित किया गया है जो सरासर गलत बदनियतीपूर्ण तथा मनमाना है। सेटलमेंट विभाग कर्मचारी एवं अधिकारीगण को सक्षम न्यायालय की आज्ञा तथा अंतरण के साबिक इन्द्राज खातेदारी में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, वर्तमान सेटलमेंट की कार्यवाही में उक्त विवादित खातेदारी में मृतक गोदा के वारिसान नारायण व नाथू का नाम तो उनके पूर्वजों के स्थान पर पुनरावृति करते हुए अंकित कर दिया लेकिन गंगा के वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के बजाय बिना अधिकार गैर कानूनी तरीके से त्रिलोक, काना पिसरान गोमा जाति जाट निवासी राड़ावास का नाम अंकित कर दिया जो नितान्त गलत मनमाना तथा दुर्भावनापूर्ण तरीके से संबंधित व्यक्तियों से साज कर अंकित किया है जो प्रारम्भ से ही वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूक के विपरित प्रभावहीन एवं शून्य है तथा काबिल दुरुस्ती है।

हाल सेटलमेंट की कार्यवाही में किए गये गलत इन्द्राज का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने पूर्वज एवं पति त्रिलोक के बजाय अपना नाम अंकित करवा लिया जो नितान्त गलत मनमाना तथा दुर्भावनापूर्ण एवं काबिले दुरुस्ती है। वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जे कास्त पर कोई विपरित असर नहीं पड़ा है वादीगण 1/2 भाग पर अपना बदस्तूर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है। विवादित आराजी साबिक सेटलमेंट से गोदा पुत्र छोटू का नाम संवहन से दर्ज हो गया उसकी मृत्यु के पश्चात् 1/2 भाग पर नारायण व नाथू तथा नाथू की मृत्यु के बाद उसके परिवारजन काबिज चले आ रहे है तथा उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इस वजह से पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। वर्तमान में विवादित आराजी के हाल खसरा नं 1035, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043 ,1054, 1055 कुल किता 8 रकबा 1.65 है0 कायम किये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम उक्त विवादित भूमि में दर्ज होने से तथा उनके मन में बदनियती आ गई है तथा मुतनाजा को अन्य को हस्तान्तरण कराने व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराने पर आमादा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीयों को उक्त भूमि का नाम दुरुस्त कराने हेतु कई बार निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे तथा अब एलानियां धमकी दी थी तुम्हें शीघ्र ही बेदखल कर कब्जा करेंगे तथा भूमि पर बैंक आदि से ऋण प्राप्त कर भूमि का रहन करेंगे आप चाहे जहां पुकारो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इस कारण यह वाद पत्र खातेदारी घोषणा का पेश किया गया है।

वादी के द्वारा वादपत्र पेश करने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों की तलबी की गई । प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया तथा नहीं प्रकरण में प्रभावी पैरवी की गई। दिनांक 06.04.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीगण की ओर से अपने दावे के समर्थन में मुरली पुत्र गंगा , हनुमान पुत्र गंगा, साधु पुत्र नाथू ने शपथ पत्र पेश कर वादपत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की तथा जाहिर किया की वादग्रस्त आराजी में 1/2 भाग पर वादीगण का निर्विवाद कब्जा कास्त चला आ रहा है तथा विवादित आराजी के 1/2 भाग की खातेदारी वादीगण को खातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नं 413, 481, 483, 486, 487, कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम राड़ावास तहसील बैराठ संवत 2012 लगायत 2027 में खातेदार गोदा व गंगा पिसरान छोटू कौम जाट के नाम खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज थी तथा संवत 2030 से 2033 में भी उक्त आराजी उक्त खातदारों के नाम जमाबंदी में दर्ज थी लेकिन गत सेटलमेंट में उक्त विवादित आराजी के हाल नं 1035, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1054, 1055 खसरा नं कायम किये गये है, जो मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से सिद्ध होते है तथा भू–प्रबन्ध विभाग ने वर्तमान में उक्त आराजी संवत 2040

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

की जमाबन्दी में नारायण, नाथू, पिसरान गोदा , त्रिलोका ,काना पिसरान गोमा दर्ज कर दिया गया है। सजरा खानदान के अवलोकन से स्पष्ट है कि नाथू व नारायण गोदा के जायन्दा पुत्र है तथा गंगा के वारिसान वादीगण का नाम हाल जमाबंदी में दर्ज नहीं होकर प्रतिवादीगण गोमा के वारिसान त्रिलोका व काना के नाम दर्ज कर दी गई जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं है कि भूमि को अन्य खातेदार के नाम दर्ज कर दिया जावे जबकि प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया है जिससे यह सुस्पष्ट है कि गंगा जो कि विवादित आराजी में 1/2 का खातेदार था उसके स्थान पर गोमा (प्रतिवादीगण) के वारिसान त्रिलोका व काना के नाम भूमि दर्ज कर दी गई है जो कि एक खातेदार का खातेदारी हक हकूक का हनन है। यदि प्रतिवादीगण किसी विधिक अधिकार से यह भूमि प्राप्त की होती तो जवाब दावा पेश कर सिद्ध करते लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार पेश दस्तावेज व पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपयुर्क्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं 1035, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1054, 1055 कुल किता 8 रकबा 1.65 है0 वाकै ग्राम राड़ावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजब कर उनके स्थान पर प्राप्त भूमि में वादी संख्या 1/1 लगा0 1/3 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 2 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 3 लगा0 6 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 9, 10 को हिस्सा 1/4 तथा वादी सं0 7 लगा0 10 को हिस्सा 1/4 का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण के कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

क्षीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
संख्या :– 132/2016

उनवान

मुरली पुत्र गंगा (मृतक दौरान वाद विचारण)
1/1 रामकरण पुत्र मुरली
1/2 नन्छी
1/3 किशोरी } पुत्रियां स्व0 मुरली

नुमान पुत्र गंगा
गवान सहाय
गबूलाल } पिसरान बिरदू

सरवण पत्नि स्व0 बिरदू
मंजू नाबालिंग पुत्र स्व0 बिरदू जरिये प्राकृतिक संरक्षिका सरवण माता नाबालिंग
शम्भूदयाल
मुकेश
सुरेश
जगदीश } पि0 नन्दा समस्त जाति जाट निवासी ढाणी जोडावाली तन राडावास तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

. जगदीश
2. रामचन्द्र
3. मुरली
4. मोहन } पि0 त्रिलोक
5. मंगली पत्नि स्व 0 त्रिलोक
6. काना पुत्र गोमा (नाम हजफ आदेश दिनांक 6.4.18)
7. उप पंजीयक तहसीलदार तहसील शाहपुरा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

केशर पुत्री बिरदू पत्नी मुरली जाति जाट निवासी ढाणी कांकडावाला तन शाहपुरा
फूली पुत्री बिरद पत्नी श्योराम जाति जाट निवासी ढाणी कांकडावाला तन शाहपुरा

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आरटीए

निर्णय दिनांक 3-9-2020

अतः उपयुर्क्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं 1035, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1054, 1055 कुल किता 8 रकबा 1.65 है0 वाकै ग्राम राड़ावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजब कर उनके स्थान पर प्राप्त भूमि में वादी संख्या 1/1 लगा0 1/3 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 2 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 3 लगा0 6 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 9, 10 को हिस्सा 1/4 तथा वादी सं0 7 लगा0 10 को हिस्सा 1/4 का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण के कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

आज तारीख 02/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	